पंजीकृत डाक द्वारा

संख्या-07/2017/497/12-4-17-418/2016

प्रेषक,

मंजू लता सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कोषाधिकारी,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-4 लखनऊ : दिनॉक : 25 मई, 2017

विषय :- श्री प्रभू पाल, सेवानिवृत्त वरिष्ठ सहायक, भूमि संरक्षण अनुभाग, कृषि भवन, लखनऊ , की पत्नी श्रीमती सुमन लता की चिकित्सा में व्यय हुई धनराशि की प्रतिपूर्ति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृषि निदेशालय, उ0प्र0 के पत्र संख्या-मु0प्र0(1)/484/एच0ए0ई0एस0टी0-17, दिनॉक 02-05-2017 द्वारा शासन को प्राप्त प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी चिकित्सा परिचर्या नियमावली, 2011 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत श्रीमती सुमन लता पत्नी श्री प्रभू पाल का प्रदेश के अन्दर संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में दिनॉक 07-07-2016 से दिनॉक 25-07-2016 तक करायी गयी चिकित्सा में व्यय हुई कुल धनराशि रू0 8,91,255/- (रूपये आठ लाख इक्यानवे हजार दो सौ पच्चपन मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि संबंधित बिलों का भुगतान इससे पूर्व नही किया गया है तथा यदि इस निमित्त कोई चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत किया गया हो तो उसका समायोजन भी अवश्य कर लिया जाय।

3- प्रस्ताव से संबंधित प्रमाण पत्र/बिल बाउचर्स मूलरूप में संलग्न है।

4- उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2017-18 के अनुदान संख्या-62 के लेखा शीर्ष "2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ-आयोजनेत्तर-01-सिविल-800-अन्य-04-राज्य सरकार के अधीन सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधीन सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-402-दिनॉक 08 नवम्बर, 2000 के पश्चात सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा उनके आश्रितो की विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-49-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा।
के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

संलग्नक-यथोपरि।

(मंजू लता सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-07/2017/497(1)/12-4-2017, तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ ।
(3) कृषि निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ ।
(4) अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
(5) वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (सामान्य) अनुभाग-2,
(6) श्री प्रभू पाल, सेवानिवृत्त, वरिष्ठ सहायक, म0नं0-'एस0एस0-77/बी, सिंगार नगर, आलमबाग, लखनऊ। ।

आज्ञा से,

(मंजू लता सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।